



पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय जगदलपुर

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA JAGDALPUR

हाटकचौरा, जगदलपुर (छ.ग.) – 494001

HAATKACHOURA, JAGDALPUR (C.G.) – 494001

Website: <https://jaqdalpur.kvs.ac.in/>

E-mail: jaqdalpurkv@gmail.com

Tel: - 07782-227262 (O)



आज़ादी का
अमृत महोत्सव



भारत 2023 INDIA

File No-F.2-6/ KV-JDP/ 2023-24/1564/340

Date: 31.08.2024

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक फ.11-55/2000-के.वि.सं(सतर्कता)पार्ट-1/1311-1352 दिनांक:05/28.03.2019 एवं क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के पत्र क्रमांक फ.32062/के.वि.सं.(सं.का.)/रायपुर/2018-19/5184-5220 दिनांक: 29.08.2024 की अनुपालना में महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के कंडिका-4 के अनुरूप अविलम्ब विद्यालय स्तरीय निम्नलिखित आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जा रहा है

क्र. सं.	सदस्य का नाम	सदस्य का पदनाम	समिति के सदस्य का कार्यालय	समिति में सदस्यदायित्व	क्षेत्राधिकार
1	केन्द्रीय विद्यालय संगठन की आंतरिक शिकायत समिति के पीठासीन अधिकारी	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	के.वि.एस. क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	पीठासीन अधिकारी	प्राचार्य, उप-प्राचार्य एवं प्रधानाध्यापक
2	सुश्री महफूजा हुसैन	एन.जी.ओ. सदस्य	आरफा फाउंडेशन कल्याणकारी समिति	एन.जी.ओ. सदस्य	के अतिरिक्त विद्यालय में
3	श्री किशोर कुमार मनवानी	प्र.स्ना.शि.(गणित)	पीएम श्री के.वि. जगदलपुर	सदस्य	कार्यरत अन्य कर्मचारियों के
4	श्रीमती प्रेरणा कुमारी	प्र.स्ना.शि.(कार्यानुभव)	पीएम श्री के.वि. जगदलपुर	सदस्य	विरुद्ध यौन उत्पीड़न की
5	डा. आनंदमूर्ति मिश्रा	सदस्य विद्यालय प्रबंध समिति 'सह' सहायक प्राध्यापक	शहीद महेंद्र कर्मा वि.वि.बस्तर(छ.ग.)	सदस्य	शिकायत की जांच करने के लिए।

पीठासीन अधिकारी और उपरोक्त समिति के सदस्य इस आदेश के जारी होने की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे। समिति के पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे:-

- यह जांच माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के संबंध में पारित आदेश दिनांक 13.08.1997 तथा मेधा कोतवाल लेले एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के संबंध में पारित आदेश दिनांक 26.04.2004 के निर्णय में निहित दिशा निर्देशों के अनुसार की जाएगी।
- यह कि उपरोक्त आंतरिक शिकायत समिति को किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर उनकी टिप्पणियों। सिफारिशों के साथ विशिष्ट निष्कर्षों और सहायक दस्तावेजों के साथ जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया, समय सीमा एवं भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के अनुसार कड़ाई से की जानी है।

आर.के. आसनानी
31/8/24
(राज कुमार आसनानी)
प्राचार्य / PRINCIPAL
केन्द्रीय विद्यालय / KENDRIYA VIDYALAYA
जगदलपुर बस्तर / JAGDALPUR BASTAR
CHHATTISGARH 494001

प्रति एवं वितरण:

- उपायुक्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर: सादर सूचनार्थ।
- समस्त समिति सदस्य एवं अध्यापक/कर्मचारी पीएम श्री के. वि. जगदलपुर।